भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 132

28 जुलाई 2026 को उत्तरार्थ

विषय: फसल उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

***132. श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्राः**

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में फसल उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के दीर्घकालिक प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार जलवायु अनुकूल फसलों की किस्मों के संबंध में अनुसंधान में तेजी लाने के लिए कोई कार्रवाई कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 2019 से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को दी गई सहायता और विकसित और वाणिज्यीकरण की गई फसलों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार किसानों को जलवायु अनुकूल किस्मों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने इस बात का आकलन किया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) में जलवायु के कारण होने वाली विषम मौसम की घटनाओं से होने वाली फसल के नुकसान को पर्याप्त रूप से कवर किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं?

<u>उत्तर</u>

<u>कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)</u>

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'फसल उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 132 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग): सरकार सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए कई कदम उठा रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) 'नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेज़िलिएंट एग्रीकल्चर' (निक्रा) परियोजना कार्यान्वित कर रही है जिसके अंतर्गत कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, भविष्य में जलवायु परिवर्तन से कृषि को होने वाले जोखिम और संवेदनशीलता का ज़िला-स्तर पर आकलन किया जाता है, और भविष्य के जलवायु परिवर्तन संबंधी पूर्वानुमानों का आकलन करने के लिए इंटीग्रेटेड सिमुलेशन मॉडलिंग स्टडीज़ किया जाता है। इस परियोजना के तहत, 'इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज' (आईपीसीसी) के प्रोटोकॉल के अनुसार, मुख्य रूप से खेती पर निर्भर 651 ज़िलों में जलवायु परिवर्तन से कृषि को होने वाले जोखिम और संवेदनशीलता का आकलन किया गया है। आकलन के आधार पर, 310 ज़िलों की पहचान संवेदनशील ज़िलों के तौर पर की गई है; इनमें से 109 ज़िलों को 'बहुत अधिक' और 201 ज़िलों को 'अत्यधिक अधिक' संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। मौसम में होने वाले बदलावों से निपटने के लिए सभी 651 ज़िलों के लिए क्षेत्र विशिष्ट जलवायु-अनुकूल फ़सलों, उनकी किस्मों और प्रबंधन के तरीकों की सिफारिश के साथ 'ज़िला कृषि आकस्मिक योजनाएं' (डीएसीपीएस) तैयार की गई हैं। इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन का सामना करने की क्षमता बढ़ाने के लिए, निक्रा के तहत किसानों द्वारा अपनाए जाने के लिए क्षेत्र विशिष्ट जलवायु-अनुकूल तकनीकों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इन तकनीकों में सिस्टम ऑफ़ राइस इंटेंसिफ़िकेशन (एसआरआई), एरोबिक राइस, डायरेक्ट-सीडेड राइस, ज़ीरो-टिल गेहूं, जलवायु-अनुकूल फ़सल किस्में और इन-सीटू फ़सल अवशेष प्रबंधन शामिल हैं। किसानों की जलवायु सहनशीलता बढ़ाने और गुणवततापूर्ण बीजों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, 28 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 151 संवेदनशील ज़िलों के 448 'क्लाइमेट-रेज़िलिएंट विलेजेज़' (जलवायु-अनुकूल गांवों) में जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके लिए गाँव-स्तर पर बीज बैंक और सामुदायिक नर्सरी की मदद ली जा रही है। 'विलेज क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट कमेटियों' (ग्राम स्तरीय जलवायु प्रबंधन समितियां) के माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों को तकनीकी सहायता दी जाती है, तथा 'कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी' (एटीएमए) के तहत क्षमता-निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं।

आईसीएआर लगातार ऐसी फ़सलों की किस्में विकसित करने के लिए अनुसंधान कर रहा है जो बायोटिक और एबायोटिक दबाव को झेल सकें। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए, आईसीएआर ने पिछले 10 वर्षों (2014-2024) में 2,900 फसल की किस्में जारी की हैं। इनमें से 2,661 किस्में एक या अधिक बायोटिक और/या एबायोटिक दबाव को झेलने में सक्षम हैं। इनमें

अनाज की 1,258, तिलहन की 368, दलहन की 410, चारे वाली फ़सलों की 157, रेशे वाली फ़सलों की 358, गन्ने की 88 और दूसरी फ़सलों की 22 किस्में शामिल हैं।

पिछले सात वर्षों (2019-2026) के दौरान 1,59,600.3 क्विंटल ब्रीडर बीज का उत्पादन किया गया जिसमे अत्यधिक जलवायु-अनुकूल, सूखा-रोधी और वर्षा-आधारित फसलों की किस्में शामिल है। इसके अलावा, जलवायु-अनुकूल किस्मों, जिनमें अत्यधिक जलवायु-अनुकूल, सूखा-रोधी और वर्षा-आधारित फसलों की किस्में शामिल हैं, के 3,82,855.8 क्विंटल गुणवत्तापूर्ण बीजों का उत्पादन किया गया और उन्हें देश भर के किसानों में वितरित किया गया। वर्ष-वार विवरण इस प्रकार है:

वर्ष	**जलवायु-अनुकूल किस्मों में ब्रीडर बीज का उत्पादन (क्विंटल में)**	**जलवायु-अनुकूल किस्मों में गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन (क्यू)**
2019-20	10086.9	31272.7
2020-21	14113.2	26155.5
2021-22	14078.1	39786.6
2022-23	19996.5	62179.6
2023-24	28562.8	60929.1
2024-25	32843.4	76997.4
2025-26	39919.5	85534.9
कुल	159600.3	382855.8

सरकार आईसीएआर को कृषि अनुसंधान और शिक्षा के लिए लगातार सहयोग दे रही है जिसमें निक्रा सहित विभिन्न कार्यक्रमों के तहत जलवायु-अनुकूल तकनीकों, फसल सुधार, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और जलवायु अनुकूलन आदि पर अनुसंधान शामिल है।

इसके अलावा, सरकार विभिन्न स्कीमों के तहत सतत कृषि पद्धतियों के माध्यम से कृषि में अनुकूलन को बढ़ावा दे रही है, जैसे कि सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से जल उपयोग दक्षता में सुधार के लिए प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी); एकीकृत कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी); उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता योजना; जैविक खेती के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई); प्राकृतिक खेती के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन (एनएमएनएफ); दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन- तिलहन (एनएमईओ-ओएस) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम) जो फसल विविधीकरण को भी बढ़ावा देते हैं; बागवानी विकास के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच); कृषि भूमि पारिस्थितिकी के लिए कृषि वानिकी आदि।

(घ): सरकार 'श्री अन्न', चावल, गेहूं, मोटे अनाज (मक्का और जौ) और वाणिज्यिक फसलों (जूट और गन्ना) के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के उदेश्य से 'नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन' (एनएफएसएम) कार्यान्वित कर रही है। इस मिशन के तहत फसलों की नई जारी की गई अधिक पैदावार देने वाली, जलवायु के अनुकूल और बायो-फोर्टिफाइड किस्मों को बढ़ावा दिया जा रहा है, साथ ही इन किस्मों और खेती की नई तकनीकों का प्रदर्शन भी किया जा रहा है। एनएफएसएम के तहत, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से किसानों को वित्तीय सहायता दी जा रही है जिसका उदेश्य फसल उत्पादन और सुरक्षा तकनीकों के प्रदर्शन, प्रमाणित बीजों के वितरण और उत्पादन (श्री अन्न), एकीकृत पोषक तत्व और कीट प्रबंधन उपायों, तथा फसल प्रणाली-आधारित प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों की क्षमता बढ़ाना है जिसमें नई जारी और अधिसूचित ऐसी किस्में शामिल हैं जो अधिक उपज देने वाली, जलवायु के अनुकूल, बायो-फोर्टिफाइड और कीटों व बीमारियों से लड़ने में सक्षम हैं।

(ङ): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और पुनर्गठित मौसम-आधारित फसल बीमा स्कीम (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) मिलकर प्राकृतिक आपदाओं और खराब मौसम की वजह से होने वाले फसल के नुकसान के लिए व्यापक बीमा सुरक्षा देती हैं, जिससे किसानों को जलवायु से जुड़े जोखिमों से निपटने में मदद मिलती है। योजना के परिचालन दिशा-निर्देशों के अनुसार, पीएमएफबीवाई में बुवाई से पहले से लेकर फसलोपरांत तक, प्राकृतिक कारणों से होने वाले ऐसे नुकसान शामिल हैं जिन्हें रोका नहीं जा सकता जिसमें सूखा, बाढ़, जल-जमाव, भूस्खलन, लू, ओलावृष्टि, चक्रवात, तूफान, बिजली गिरना, प्राकृतिक आग, बादल फटना, बेमौसम बारिश और बुवाई न हो पाना जैसी स्थितियां शामिल हैं। आरडब्ल्यूबीसीआईएस, विशेष तौर पर अधिसूचित बागवानी और दूसरी फ़सलों के लिए, विषम मौसमी घटनाओं जैसे कि कम या अधिक बारिश, ज़्यादा या कम तापमान, नमी, पाला, लू, शीतलहर आदि से होने वाले नुकसान से बीमा सुरक्षा देती है। दिनांक 30.06.2026 तक, पीएमएफबीवाई और आरडब्ल्यूबीसीआईएस के तहत कुल 92.68 करोड़ किसानों के आवेदन रजिस्टर किए गए हैं, और वर्ष 2016 में इन स्कीमों के शुरू होने के बाद से 25.58 करोड़ किसानों के आवेदनों के लिए ₹2.02 लाख करोड़ का क्लेम पेमेंट किया गया है। इसके अलावा, इन स्कीमों के तहत रजिस्टर किए गए कुल यूनिक किसान आवेदनों में से लगभग 86% आवेदन छोटे और सीमांत किसानों के हैं।
